वर्ष 2017-2018 के वार्षिक आय–व्यय के लिये माननीय वित्त मंत्री,बिहार सरकार द्वारा दिनांक 03 – 02- 2017 को आयोजित बजट पूर्व विमर्श के लिये बिहार चैम्बर ऑफ कॉमस एण्ड इण्डस्ट्रीज का ज्ञापन

उद्योग से सम्बन्धित मुद्दे

1. बजट में उद्योग विभाग का Allotment अधिक करने के सम्बन्ध मे

बजट में उद्योग विभाग का Allotment अधिक करने की आवश्यकता है जिससे समय पर प्रोत्साहन राशि का वितरण हो सके । 2016-17 के बजट में उद्योग विभाग हेतु 788.78 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया था जिसमें योजना मद में 715.88 तथा गैर योजना मद में 72.90 करोड़ की राशि आवंटित थी परन्तु फंड के अभाव में समुचित औद्योगिक विकास की कई परियोजनाएँ पूरी नही हो पायी हैं। इसलिए निवेदन करना है कि इस राशि को 2017-18 के बजट में कम से कम दूगना किया जाय ।

2. प्रोत्साहन/प्रतिपूर्ति राशि को On Line Credit करने के सम्बन्ध में

उद्योगों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत देय प्रोत्साहन/प्रतिपूर्ति राशि संबंधित उद्योगों को ऑन लाइन Credit करने की व्यवस्था की जानी चाहिए । साथ ही इसके लिए Right to Service Act के अन्तर्गत एक समय सीमा भी निर्धारित की जा सकती है ।

3. बैंकों का नकारात्मक रवैया:–

राज्य में राष्ट्रीयकृत अथवा निजी व्यापारिक बैक ऋण देने में काफी अनुदार (Conservative) भावना रखते हैं और इस विचार से ही काम करते हैं कि बिहार में दिया गया ऋण वापस नही होगा। इस नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। राज्य में स्थित बैंक सिर्फ जमा एकत्र करने के केन्द्र के रूप मे विकसित हो रहे हैं, उन्हे राज्यहित में ऋण देने के कार्य में कोई दिलचस्पी नही है।

फलस्वरूप, राज्य में CD Ratioराष्ट्रीय औसत से काफी कम है और राज्य में जमा धनराशि का प्रयोग इन बैकों द्वारा अन्य राज्यों में ऋण देने में किया जा रहा है। सरकार ने कुछ बैकों को काली सूची मे डाला है और उनमें सरकारी जमा रखने से मनाही कर दी है। सरकार को रिजर्व बैक के माध्यम से इन बैकों पर दबाव बढ़ाकर राज्य में ऋण के प्रवाह को बढ़ाना चाहिए।

क्रमश:.....2

4. चाय उद्योग के लिए अलग से प्रोत्साहन नीति तैयार किये जाने हेतु निवेदन

बिहार के सीमांचल जिलों में बड़े पैमाने पर चाय की खेती हो रही है । इसलिए चाय उद्योग के लिए अलग से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति होनी चाहिए ।

5. जॉब वर्क ईकाईयों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति का लाभ दिये जाने के संबंध में

राज्य सरकार द्वारा राज्य में उद्योग के विकास हेतु निवेश की बात की जाती है। परन्तु राज्य के बाहर स्थित वैसी औद्योगिक ईकाईयाँ जिनके ब्राण्ड का बिहार एक बहुत बड़ा व्यापारिक स्थल है, वह यहाँ अपनी ईकाई न लगाकर यहाँ के औद्योगिक ईकाई से अपने माल का उत्पादन ''जौब वर्क'' के आधार पर करवाती है जिससे राज्य में राजस्व की प्राप्ति होती है। उन बाहर की ईकाईयों को यहाँ के वर्त्तमान प्रावधान के अनुसार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति का कोई भी लाभ नहीं मिलता है। इसके लिए पॉलिसी बनाया जाना चाहिए जिसमें औद्योगिक प्रोत्साहन नीति का लाभ राज्य में स्थित औद्योगिक ईकाई जो ''जॉब वर्क'' के आधार पर बाहर की ईकाईयों के लिए माल का उत्पादन करती है, को मिले।

6. उद्योग के उपयोग हेतु भूमि के समुचित उपलब्धता का अनुरोध

बिहार में उद्योगों की स्थापना में भूमि का अभाव एक प्रमुख समस्या है । थर्मल पावर प्लान्ट इत्यादि जैसी इकाईयों की स्थापना के लिए एक बहुत बड़े भू–भाग की आवश्यकता है, इसके साथ ही अन्य उद्योगों के लिए भी ऐसे बड़े भू–भाग की आवश्यकता होने पर प्रबन्ध करना होगा । हमें आशा है कि सरकार उद्योगों के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने के लिए निम्नांकित कदम उठाएगी :–

– भूमि बैकों की स्थापना द्वारा ।

– बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि की खरीद के लिए उद्यमी एवं किसान के बीच सरकार Facilitatorकी भूमिका का निर्वहन करे ।

– ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया एवं स्टेट्स (Estate) की स्थापना द्वारा ।

– औद्योगिक उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा जगह–जगह पर भूमि का चयन कर इसकी घोषणा की जानी चाहिए कि यह जमीन केवल औद्योगिक उपयोग के लिए ही होगा जिससे कि Promoterएवं जमीन मालिक आपसी समझौता से जमीन को औद्योगिक उपयोग के लिए सहजता से खरीद सकें ।

– नई औद्योगिक इकाईयॉ यदि अपनी आवश्यकता का 50%या 60%या 70%से अधिक जमीन की व्यवस्था अपने स्तर पर कर लेती हैं तो बाकी बचे जमीन हेतु बगल में यदि गैर–मजरूआ जमीन हो तो उसे सरकार द्वारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा सकती है ।

यदि जमीन की और आवश्यकता शेष रह जाती है तो उसे भी सरकार बाजार दर पर जमीन अधिग्रहण कर उद्यमी को उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर सकती है ।

– अमृतसर – दिल्ली – कोलकत्ता Industrial Corridorविकसित होने जा रहा है। सरकार द्वारा बिहार में जहाँ–जहाँ से यह Corridorगुजरेगा, उसके दोनों तरफ अभी से हीं बड़े–बड़े भूमि के टुकड़ो (1000 – 2000एकड़) को प्राप्त करने की कोशिश की जानी चाहिए । इस

क्रमश:.....3

Industrial Corridorको Eastern Dedicated Freight Corridorसे बहुत मदद मिलेगी और इससे बिहार में औद्योगिकरण में तेजी आयेगी एवं नये रोजगार का सृजन होगा।

7. <u>औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 की कंडिका–3 के द्वारा राज्य सरकार ने निम्नलिखित उद्योगों को प्राथमिकता के प्रक्षेत्र की सूची में रखा है।</u>

- खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र
- पर्यटन प्रक्षेत्र
- लघु यंत्र विनिर्माण प्रक्षेत्र
- सूचना प्रोद्यौगिकी, सूचना प्रोद्यौगिकी आधारित सेवाएँ, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण प्रक्षेत्र
- टेक्सटाईल प्रक्षेत्र
- प्लास्टिक एवं रबर प्रक्षेत्र
- अक्षय उर्जा प्रक्षेत्र
- हेल्थ केयर प्रक्षेत्र
- चमड़ा प्रक्षेत्र
- तकनीकी शिक्षा प्रक्षेत्र

यहॉ यह उल्लेखनीय होगा कि प्राथमिकता प्राप्त प्रक्षेत्र में औद्योगिक प्रक्षेत्र चिन्हित् किये जाते हैं जिनमें राज्य के Core Competence Industrial Sector बनने की क्षमता हो लेकिन उपरोक्त औद्योगिक प्रक्षेत्रों के लिए पृथक प्रोत्साहन नीतियों की घोषणा नहीं हो पाई है ।

8. <u>आधुनिक प्रयोगशाला</u>

राज्य में आधुनिक प्रयोगशाला एक भी नहीं है फलस्वरूप आवश्यकता होने पर राज्य के बाहर प्रयोगशाला में खाद्य–सामग्री जॉच हेतु भेजना पड़ता है । अत: चैम्बर का सुझाव है कि राज्य में एक फूड प्रोसेसिंग गुणवत्ता वाली आधुनिक प्रयोगशाला जो NABL/FSSAI द्वारा स्वीकृत हो का निर्माण कराया जाए जहॉ प्रोसेसर द्वारा उचित कीमत पर अपने उत्पाद के सभी सूक्ष्म तत्वों की जॉच कराया जा सके । इसके अतिरिक्त अन्य उद्योग यथा कागज उद्योग, दवा उद्योग आदि के लिए भी आधुनिक प्रयोगशालाओं की नितांत आवश्यकता है।

9. <u>रूग्न इकाईयों का पुनर्वास :</u>

सरकार ने औद्योगिक रूग्नता को औद्योगिकरण की प्रक्रिया का एक अंग मानते हुए रूग्न इकाईयों के पुनर्वास के लिए औद्योगिक नीति में प्रावधान किया है । औद्योगिक नीति में मात्र यह उल्लेख किया गया है कि रूग्नता की पहचान एक समय सीमा के अन्दर कर निर्धारित अवधि में पुनर्वास पैकेज तैयार किया जाएगा ।

रूग्नता की पहचान की समय सीमा क्या होगी, पुनर्वास पैकेज निर्धारण की अवधि क्या होगी तथा पुनर्वास पैकेज की न्यूनतम या अधिकतम दिये जानेवाली प्रोत्साहन सुविधा क्या होगी, इसको परिभाषित नहीं किया गया है ।

अत: आवश्यक है कि उपरोक्त बिन्दु को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए ।

क्रमश:.....4

9.1 पुर्नवासित रूग्न ईकाईयों को भी औद्योगिक नीति के अन्तगर्त मिल रहे सभी प्रकार के प्रोत्साहनों का पात्र बनाया जाना चाहिए।

9.2 रूग्न ईकाईयों के पुर्नवास की प्रक्रिया में यदि मैनेजमेन्ट बदल भी जाती है तो ऐसी स्थिति में बियाडा द्वारा निर्धारित जमीन के अद्यतन दर पर लगने वाले Transfer fee को समाप्त किया जाना चाहिए।

10. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016के प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया को निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा किये जाने की आवश्यकता है। अत: इस नीति के सभी प्रावधानों को 31मार्च, 2017तक लागू कराने की व्यवस्था की जाये।

11. वैसे सभी उद्योग जो सूक्ष्म उद्योग (Micro Industry) की श्रेणी में आते हैं तथा वैसे सभी उद्योग जो Pollution Free Industry की श्रेणी में आते हैं उनको Consent लेने की बाध्यता से मुक्त किया जाना चाहिए

12. **<u>औद्योगिक भूखंड के MVR के संबंध में</u>**

औद्योगिक भूखंड के लिए अलग सेMVRनिर्धारित किए जाने की आवश्यकता:– विगत कुछ वर्षों में राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणी के अपने भूखंड केMVRकाrevisionकरते हुए भूखंड के कीमतों में कई गुणा वृद्धि की है। औद्योगिक भूखंड के लिए अलग से कोईMVRका दर भी निर्धारित नहीं है। इस बढ़ोतरी का प्रतिकूल असर राज्य में औद्योगिक निवेश पर पड़ेगा। जिस प्रकार भूखंड के कीमतों में वृद्धि हुई है उससे किसी औद्योगिक प्रोजेक्ट कीeconomic viabilityनहीं होगी। कोई भी बैंक ऐसी स्थिति में प्रोजेक्ट को ऋण मुहैया नहीं करायेगा।

उक्त परिपेक्ष में हमारी सरकार से मांग है कि औद्योगिक भूखंड के लिए अलगMVRका निर्धारण हो जो कृषि योग्य भूमि के लिए निर्धारितMVRके बराबर हो।

सरकार एक बार पुन: विभिन्न प्रकार के भूखंडों काMVRमें बढ़ोत्तरी करने जा रही है। बढ़ोत्तरी का जो मसौदा तैयार किया गया है उसका भारी प्रतिकुल असर विभिन्न वर्गों पर पड़ेगा। प्रस्तावित मसौदा में विभिन्न जगहों के MVRका प्रस्तावित मूल्यांकन है, वह वास्तविकता से परे है। उक्त परिपेक्ष में हमारा निवेदन है कि प्रस्तावितMVRमें संशोधन पर सरकार एक बार फिर से विचार करे तथाMVRमें किसी तरह की कोई बढ़ोत्तरी न किया जाय, ऐसी हमारी मांग है।

13. **<u>राज्य के सभी जिलों में उद्योग विकसित करने के सम्बन्ध में</u>**

बिहार राज्य के पूर्ण एवं संतुलित विकास के लिये 12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत उद्योग का विकास ही एक मात्र एवं अहम मुद्दा राज्य सरकार के लिये होगा । जबतक राज्य के सभी जिलों में उद्योग के विकास की योजना नहीं बनेगी तबतक निवेशकों को आकर्षित करना कठिन होगा । हम सभी जानते हैं कि राज्य में उद्योग कुछ ही जिलों में सीमित है ।

क्रमश:.....5

हमारा सुझाव है कि इस बजट द्वारा वर्त्तमान परिदृश्य को बदलने के लिये शुरूआत की जानी चाहिये। राज्य के वैसे सभी जिलों में जहॉ भूमि की उपलब्धता हो MSME (Micro,Small & Medium Enterprises) का विकास किया जाय । प्राथमिकता उन जिलों को दी जानी चाहिये जहॉ पहले से उद्योग नहीं हैं । यह राज्य के विकास के लिये एक बड़ा कदम होगा । स्मरणीय है कि चैम्बर ने भी भारत सरकार के वित मंत्री को एक ज्ञापन भेजकर इस सम्बन्ध में यह भी अनुरोध किया है कि राज्य के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को पूर्व की भांति आयकर अधिनियम की धारा 80 1B (5) के अन्तर्गत 5 पॉच वर्षो एवं 3 तीन वर्षो के लिये आयकर में शत–प्रतिशत छूट प्रदान करने की कृपा करें।

14. <u>प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लिये जा रहे ''सहमति शुल्क'' में अत्यधिक वृद्धि के संबंध में</u>

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा लिए जानेवाले सहमति शुल्क को काफी बढ़ा दिया गया है जिसका कुप्रभाव औद्योगिकरण के माहौल पर पड़ना स्वभाविक है ।

जहॉ जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण सहमति शुल्क 31 जनवरी 2012 के गजट अधिसूचना के पहले लघु उद्योगों के लिए तीन साल की अवधि हेतु 6000/- रूपया लगता था उसके लिए अब 25000 से 55000 रूपया देय है ।

मध्यम उद्योग के लिए पहले जहॉ तीन साल की अवधि के लिए 15000/- रूपया देय था वहॉ अब 40000 से लेकर 1,40,000/- रूपयातक शुल्क देना पड़ता है ।

इसका कारण यह है कि पहले जहॉ लघु, मध्यम एवं वृहत उद्योग को कैटोगरी के अनुसार शुल्क लगता था वही अब Fix Assets (Land, Building, Plant & Machinery) के पूंजी निवेश पर लगता है ।

अत: सरकार को इस अत्यधिक वृद्धि पर विचार करना चाहिए ।

15. <u>उद्योंगों के खिलाफ FIRदाखिल करने के दुरूपयोग के सम्बन्ध में ।</u>

ऐसा अनुभव किया गया है कि किसी कारखाने/औद्योगिक इकाई के बाहर, इकाई से 10 - 5किलोमीटर दूर, कोई अप्रिय घटना उस इकाई से संबंधित किसी कामगार, ड्राईवर–खलासी, आपूर्तिकर्ता इत्यादि के साथ घटित होती है तो संबंधित स्थानीय थाना द्वारा ऐसी घटनाओं में येन–केन–प्रकारेण औद्योगिक इकाई के नाम को जोड़ने का प्रयास किया जाता है जिससे संबंधित इकाई बुरी तरह से परेशान होती है। अत: हमारा सुझाव है कि इस प्रकार की मनमानी पर रोक लगाने हेतु कोई व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे खान(Mines)में कोई घटना घटित होने पर डायरेक्टर माइन्स सेफटी के Reportके बाद ही FIRपर कारवाई होती है, उसी तरह से फैक्ट्री के अन्दर घटना घटित होने पर फैक्ट्री इंस्पेक्टर के Reportके बाद FIRपर कारवाई हो तथा फैक्ट्री के बाहर घटना घटित होने पर,DSPके Supervision Report पर Superintendent of Policeके Report II होने के बाद ही FIRपर कारवाई हो।

क्रमश:.....6

16. राज्यस्तरीय Clarification Committeeके गठन के संबंध में

ऐसा अनुभव किया गया है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011, 2016 के अन्तर्गत बियाडा कानून एवं नियम, खाद्य प्रसंस्करण नीति, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें, वैट एक्ट से संबंधित अधिसूचनाएं, श्रम संसाधान विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं आदि जैसे एक्ट,पॉलिसी एवं अधिसूचनाओं की व्याख्या में कई बार काफी गलतफहमियॉ होती हैं । विभाग के पदाधिकारियों एवं उद्यमियों के बीच एक राय नहीं बन पाती है जिससे कि राज्य के औद्योगिक विकास में अनिश्चितता बढ़ती है । इस मत भिन्नता के निवारण हेतु एक राज्यस्तरीय Clarification Committee बनायी जानी चाहिए जिसमें सरकार और उद्योग एवं व्यवसाय का समान रूप से प्रतिनिधित्व रहे तथा उक्त कमिटी का निर्णय सर्वमान्य हो ।

वैट से संबंधित मुद्दे

17. वाणिज्य–कर की नीतियों से संबंधित समस्याएँ:–

17.1 VATप्रतिपूर्ति के संबंध में

(i) औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 एवं 2011 के अन्तर्गत उद्योग को वैट प्रतिपूर्ति वाणिज्य–कर विभाग द्वारा किया जाता है । इसकी निधि उद्योग विभाग से वाणिज्य–कर विभाग को प्राप्त होता है । इस वर्ष में उद्योगों को प्रतिपूर्ति हेतु यथेष्ट निधि ससमय उद्योग विभाग से प्राप्त करने का अनुरोध है जिससे उद्योगों को वैटप्रतिपूर्ति ससमय त्रैमासिक स्तर पर सुनिश्चित हो सके । हम इस ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे कि कई बार निधि रहने के बावजुद पूर्ण प्रतिपूर्ति नहीं होने के कारण Balance राशि Lapse हुई है। इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो Fund आए वह Lapse न हो ।

(ii) उद्योगों को वैट प्रतिपूर्ति प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने हेतु वांछित Software विकसित कर इसे Online लागू करने की कार्रवाई की जाय ताकि पूरी प्रक्रिया शीघ्रता से सम्पन्न हो सके एवं पारदर्शी भी रहे ।

(iii) हमारा आग्रह है कि VATप्रतिपूर्त्ति (Reimbursement)के स्थान पर इसके सामंजन (Adjustment)की व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए क्योंकि VATप्रतिपूर्ति में काफी समय लगता है । वर्तमान प्रक्रिया में व्यवसायियों को पहले VATजमा करना पड़ता है उसके बाद जमा किए हुए VATकी प्रतिपूर्ति हेतु वाणिज्य–कर विभाग का चक्कर लगाना पड़ता है जिससे विभाग एवं व्यवसायियों का बहुत समय व्यर्थ जाता है ।

17.2 (i) विभागीय अपीलीय न्यायालयों/प्राधिकारों के समक्ष बिहार वित्त अधिनियम 1981से सम्बन्धित लम्बित वादों को निष्पादित करने के लिए जो One Time Settlement (OTS)योजना लाई गयी है उसकी अवधी का विस्तार किया जाये अथवा नयी OTS योजना लागू की जाये जिससे दोनों पक्षों को अनावश्यक खर्चे एवं परेशानी से बचाया जा सके तथा सरकार को भी विवादित राजस्व के मद में राशि की प्राप्ति हो सके ।

(ii) अपील दायर करने के लिए माँग का 20%जमा करना होता है, जिसे समाप्त करना चाहिए।

क्रमश:.....7

17.3 Accumulated Input Tax Credit का रिफंड किया जाना चाहिए।

17.4 अर्थदण्ड के रूप में प्राप्त राजस्व को मुख्य राजस्व से अलग कर दिखलाया जाना चाहिए क्योंकि अर्थदण्ड कर वसुली का हिस्सा नही है। अधिकारी महज अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए कई बार मामुली त्रुटियों के लिए अर्थदण्ड लगा देते हैं जो कि बाद में अपील में निरस्त हो जाता है। अत: अर्थदण्ड को मुख्य कर से अलग कर देने पर एवं उसे कर वसुली का हिस्सा नही माने जाने पर अधिकारियों द्वारा ऐसे गलत अर्थदण्ड शासित नही किये जायेंगे।

18. घोषणा प्रपत्र से संबंधित समस्याएँ:–

18.1 राज्य के अन्तर्गत माल परिवहन हेतु लागू घोषणा प्रपत्र D-VIIIके जनित होने में व्यवसायी वर्ग को होने वाली कठिनाईयों के संबंध में समय–समय पर आपका ध्यान दिलाया जाता
रहा है एवं आपने इसमें काफी सुधार करने की कृपा की है परन्तु अभी भी इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है । इस संबंध में हम निम्नलिखित बिन्दुओं पर आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं :–

(i) घोषणा प्रपत्र की वैद्यता 100 किलोमीटर की दूरी के लिए अभी मात्र 36 घंटे का प्रावधान है इसे बढ़ाकर 144 घंटे किया जाना चाहिए।

(ii) घोषणा प्रपत्र की वैधता अवधि को 144घंटे से अधिक होना चाहिए ।

(iii) D-VIIIजनित करने के बाद रद्द करने की अवधि सिर्फ 2घंटे है जिसे बढ़ाया जाना चाहिए ।

(iv) ट्रांसपोर्टर डिटेल भरने की सुविधा ट्रांसपोर्टर एवं व्यापारी दोनों के पास होनी चाहिए

18.2 ऐसे व्यवसायी जिनका सकलावर्त्त करोड़ो में है एवं जिनके द्वारा वार्षिक कर भुगतान रू० 2या3करोड़ से अधिक किया जाता है, को प्रपत्र D-VIIIके निर्गमन से विमुक्त किये जाने की माँग की गई।

18.3 केन्द्रीय प्रपत्र "C" एवं "F" में हुई त्रुटियों के सुधार हेतु वाणिज्यकर–विभाग द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 को अधिसूचना जारी की गयी थी जिसकी अवधी दिनांक 09 फरवरी, 2017 को समाप्त हो जायेगी। अनुरोध है कि कृपया इस अवधी को 31 मार्च, 2017 तक विस्तारित किया जाये।

18.4 Right to Public Service Act-2011 के तहत 7 दिनो के अंदर प्रपत्र 'C'& 'F'उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, जिससे कि प्रपत्र 'C'& 'F'एक समय सीमा के अंदर प्राप्त हो सके।

इस आदेश के बावजूद भी अंचलों द्वारा C-Form निष्पादन निर्धारित समय के अन्दर नहीं किया जा रहा है ।

इस संबंध में विभाग द्वारा दिनांक 06 सितम्बर 2012 को जारी अधिसूचना में यह उल्लेख किया गया है कि ''वर्ष 2013 – 14 एवं उसके बाद की अवधि के लिए फार्म 'C' का ऑनलाईन निर्गमन कंडिका 1 में निर्धारित प्रक्रिया संपन्न होने पर एवं कंडिका 3में विनिर्दिष्ट सभी शर्त पूरी होने पर पूर्णत: ऑटोमेटेड प्रोसेस से बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के होगा'' परन्तु इसके बावजुद ऑटोमेटेड प्रोसेस से 'C' फार्म उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। केन्द्रीय प्रपत्र "C" एवं "F" का ऑनलाइन निर्गमन निर्धारित शर्तो को पूरा किये जाने पर बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ऑटोमेटेड प्रोसेस से होना चाहिए।

क्रमश:.....8

19 **<u>चेकपोस्ट से संबंधित</u>**:–कई बार वाहन के चेक–पोस्ट पर पहुॅचने पर पता चलता है कि वाहन पर लदे माल की ''सुविधा'' पूर्व में Approveहो चुकी है एवं वाहन Detainकर लिया जात है। इस प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो, इस हेतु आवश्यक उपाय किये जाने चाहिए।

20. केन्द्र सरकार ने देश भर में 1 जूलाई, 2017 से GST के क्रियान्वयन करने का निश्चय किया है। यदि इसी तिथि से GST लागू की जाती है तो व्यवसायियों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम तिमाही के लिए वैट में एवं शेष तीन तिमाहियों के लिए GST में Returns दाखिल करने होगे तथा Assesment कराना होगा। अत: आपसे अनुरोध है कि ऐसी स्थिति में प्रथम तिमाही 2017-18 को वित्तीय वर्ष 2016-17 के साथ सम्मिलित कर वार्षिक विवरणी एवं Assesment के प्रावधान की व्यवस्था की जानी चाहिए।

21. सरकार के निर्देश के अन्तगर्त व्यवसायियों द्वारा VAT से GST में Migration कराया जा रहा है। हमारा अनुरोध है कि VAT Act में लंवित सभी प्रकार की Proceedings को अधिकतम 1 वर्ष की तय समय सीमा में पूरा कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

22. राज्य सरकार द्वारा व्यवसायियों को उच्च वैट संग्रहण तथा कर संग्रहण में बढ़ोतरी के लिए भामा शाह सम्मान से पुरस्कृत किया जाता था। गत् कुछ वर्षो से यह सम्मान नही दिया जा रहा है। इसे पुन: चालू कराया जाना चाहिए।

23. **<u>उद्योगों को Compounding की सुविधा</u>**

छोटे व्यवसायियों जिनका वार्षिक सकल आवर्त्त 40 लाख रूपये तक है को Compounding की सुविधा प्रदान की गई है और वे 10000/- रूपया वार्षिक कर का भुगतान कर अपना व्यवसाय सुचारू रूप से कर रहे हैं । औद्योगिक क्षेत्र में भी बहुत से ऐसे उद्यमी हैं जिनका कारोबार काफी छोटा और ऐसे उद्यमियों को भी कर भुगतान में सुविधा प्रदान कर इनका प्रोत्साहन किया जा सकता है ।

अत: चैम्बर का सुझाव है कि एक करोड़ तक के वार्षिक सकल आवर्त्त वाले उद्योगों के लिये 25000/-रूपये वार्षिक कर निर्धारित कर इन्हें भी Compounding की सुविधा प्रदान करने पर सरकार को विचार करना चाहिए ।

<u>विद्युत से सम्बन्धित मुद्दे</u>

24. **<u>समुचित औद्योगिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये निर्वाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराना</u>**
उद्योगों के विकास के लिये विद्युत की निर्वाध आपूर्ति नितान्त आवश्यक है । हमारा आपसे निवेदन है कि उद्योग हेतु बिजली की निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने और कमी से निपटने हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को Open Access Scheme के अन्तर्गत Power Corporation से विद्युत क्रय करने की अनुमति दी जाय ।

25. राज्य की उर्जा की मांग 3000 MW आंकी गई है । केन्द्रीय प्रक्षेत्र से राज्य को अधिकतम लगभग 1800 MWविद्युत का आवंटन किया गया है परन्तु औसतन 1000 मेगावाट कम बिजली ही उपलब्ध हो पाती है ऐसी परिस्थिति में विद्युत बोर्ड द्वारा 3500 MW पर MMG Charge किया जाना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है, इसमें सुधार की आवश्यकता है ।

क्रमश:..........9

26. **<u>औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अन्तगर्त Covered औद्योगिक ईकाईयों को MMG/AMG से छूट</u>**

वैसी औद्योगिक ईकाईयाँ जिन्हें औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अन्तगर्त उनके वाणिज्यिक उत्पादन से पाँच वर्षो के लिए MMG/AMG से छुट का प्रोत्साहन प्राप्त है तथा जिन्होंने अब तक पाँच साल तक देय इस छुट की अवधी पूरी नही की है उन्हें पाँच साल की समय सीमा पूरा होने तक यह छुट उनके लिए बरकरार रखी जानी चाहिए।

26.1 राज्य की सभी औद्योगिक ईकाईयों को MMC/MMG/AMG से छुट मिलनी चाहिए। अन्यथा जो ईकाई पूरा उत्पादन नही कर पाती है वो इस बोझ को वहन नही कर पाती और बन्द हो जाती है। यह सुविधा 2006 एवं 2011 की प्रोत्साहन नीति के अन्तगर्त उद्योगों को प्राप्त थी।

26.2 किसी भी औद्योगिक उपभोक्ता द्वारा जितनी विद्युत Consume की जाती है उसी के अनुरूप उस उपभोक्ता पर भुगतान देय होना चाहिए।

27. औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक हब, आगामी आद्योगिक क्षेत्रों इत्यादि हेतु Dedicated Power Sub-Station होना चाहिए जिससे की उद्योगों को बिजली की समस्या न हो। हम यहॉ यह भी कहना चाहेगें कि वाणिज्य एवं उद्योग को बिजली हेतु प्राथमिकता मिलनी चाहिए क्योंकि वो बिजली के बिल का भुगतान ससमय करते हैं जिससे राज्य के राजस्व में इजाफा होता है।

औद्योगिक क्षेत्र में जमीन की अनुपलब्धता के कारण औद्योगिक ईकाई को खुद से जहाँ पर भी जमीन उपलब्ध है खरीदना पड़ता है । ज्यादातर वैसी ईकाईयों को पर्याप्त बिजली की सुविधा नहीं मिल पाती है और जो मिलती भी है तो उसमें वोल्टेज की समस्या एवं बार–बार ट्रिपिंग की समस्या रहती है । अत: हम यह सुझाव देना चाहेंगे :–

क ऐसी ईकाईयों को dedicated 11KV/33KV line की सुविधा प्रदान की जाये एवं dedicated line की लागत Distribution Company द्वारा वहन किया जाये या राज्य सरकार द्वारा Dedicated line की लागत की प्रतिपूर्त्ति की जाये ।

ख नई औद्योगिक ईकाईयाँ जो औद्योगिक क्षेत्र से बाहर स्थापित होती है, को बिजली हेतु service Line का इन्तजाम खुद करना पड़ता है जिसमें कई तरह की कठिनाई आती है जैसे लोगों को अपनी जमीन पर बिजली के तार एवं खंभे के लिए कड़ी आपत्ति होती हैं । अत: हमारा सुझाव है कि Distribution Company को ही वैसी औद्योगिक ईकाईयों को Service Line मुहैया कराने का इंतजाम करना चाहिए ।

28. Distribution Company को अपनी सारी उर्जा जो बिजली आपूर्तिकरते हैं उसकी proper metering करके उसकी कीमत वसुलने में लगाना चाहिए। यहाँ सरकार के तरफ से Distribution Company को जितने भी पैसे मिलते है उसको जो BERC द्वारा Allowed T & D Loss है उससे अधिक जो T & D Loss होता है उसी को compensate करते हैं। यहाँ हम यह कहना चाहेंगे कि BERC द्वारा 21-22% T & D Loss रखने की अनुमति दी गई है। लेकिन Distribution Company जो ऑकड़े देती है और T & D Loss 46-47% बताती है। इस स्थिति में बिजली खरीद का आधा तो ऐसे ही घाटेमें चला जाता है एवं सिर्फ आधी बिजली का billing हो पाता हैं। जो Extra T & D Loss है उसकी

क्रमश:.....10

भरपाई सरकारी या यूँ कहें की जनता के पैसों से होती हैं। इस पर सख्ती से अमल करके T & D Loss को निर्धारित मानक तक रखने की उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नही होना चाहिए कि सरकार से पैसे तो मिल ही रहे हैं इस स्थिति में T & D Loss का Control हीं छोड़ दें। T & D Loss को कम करने हेतु 100% metering करने की आवश्यकता है।

29. बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे स्थानों पर हैं कि उन्हें पूरी बिजली नही मिल पाती है परन्तु Distribution Company जो हर माह बिल देती है उसमें पूरे महीने का Demand Charge per month के हिसाब से जोड़ देती है चाहे औद्योगिक ईकाईयों को पूरी बिजली मिली हो या न मिली हो जिसके चलते उन्हें बिजली बहुत महँगी पड़ती है और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है जैसे:—(i) उत्पादन का भारी

नुकसान (ii) बिजली की लागत प्रति यूनिट 20/- रूपये से भी ज्यादा (iii) डीजल जेनरेटर सेट का उपयोग करके बिजली की जरूरतों को पूरा करना जो कि बहुत महँगी पड़ती है ।

इसलिए यहाँ पर यह जरूरी है कि औद्योगिक ईकाईयों को जितनी देर बिजली मिलती है उतनी ही देर के हिसाब से Demand Charge Bill देना चाहिए । यहाँ हम यह यह भी सुझाव देना चाहेंगे कि Fix Charge का झगड़ा खत्म करने के लिए इसको Per Month basis से हटाकर Per Hour basis पर कर देना चाहिए ।

30. कुछ बड़े उपभोक्ता Power Exchange के तहत सीधेबिजली खरीदना चाहते हैं इसके लिए Open Access Policy का प्रावधान है । परन्तु जो Tariff का प्रणालीहै उस प्रणालीमें उपभोक्ता Open Acess से बिजली नही ले पाते हैं। Open Acess Policy- Tariff में आवश्यक सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए Demand Charge को हटाना चाहिए एवं बिजली का रेट सिर्फ Unit Charge करना चाहिए।

31. राज्य में उद्योग एवं वाणिज्य के लिए बिजली की दर अन्य राज्यों के समकक्ष होना चाहिए । घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाले सब्सिडी की भरपाई उद्योग एवं व्यापार जगत से नहीं किया जाना चाहिए । राज्य में उद्योगों की कमी है और जो उद्योग हैं उनमें से ज्यादातर उद्योग MSME सेक्टर में आते हैं । वैसे उद्योगों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो उच्च बिजली शुल्क का भुगतान कर सके जिससे कि घरेलू उपभोक्ताओं को मिलनेवाली सब्सिडी की भरपाई हो सके ।

32. कुछ उद्योग एवं वाणिज्यिक संस्थान सीजनल हैं जिनकी सीजन के समय उर्जा की खपत अधिक होती है एवं कुछ समय बहुत कम। सिक्योरिटी डिपोजिट की गणना साल में दो बार छः महीने की खपत के हिसाव से किया जाता है। इस तरह के उपभोक्ताओं की गणना एक बार काफी अधिक आता है दूसरी बार बहुत कम आता है। इसमें काफी परेशानी आती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए साल में दो बार छः—छः महीने पर गणना होनी चाहिए। परन्तु उसमें पिछले पूरे एक साल के विद्युत विपत्र के आधार पर सिक्योरिटी डिपाजिट की गणना की जानी चाहिए।

33. **(i)** **सिक्योरिटी डिपॉजिट पर ब्याज**:— सभी प्रकार के विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गये सिक्योरिटी डिपॉजिट पर दी जानेवाली ब्याज की दर बैंक दर के समान हो, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक समय—समय पर निर्दिष्ट करता है। गत् वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक दर औसतन 9% थी जब कि सिक्योरिटी डिपॉजिट पर ब्याज 6% की दर से भुगतान किया गया। अतः अनुरोध है कि पिछले वर्षो के बकाया ब्याज के साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 9% दर से ब्याज के भुगतान हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाना चाहिए।

क्रमशः.....11

(ii) सिक्योरिटी डिपॉजिट पर दी जाने वाली ब्याज का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए एवं Deductee को TDS Certificate निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हमें सूचना मिली है कि वर्तमान में कई Cases में TDS काटे जाने के बावजुद उक्त राशि Income-Tax विभाग में जमा नही की गयी है।

34. केन्द्रीकृत उपभोक्ता हेल्पलाईन जल्द से जल्द शुरू करने की आवश्यकता है जिससे उपभोक्ताओं की सभी तरह की शिकायतों का निबटारा किया जा सके। जिसमें बिजली की आपूर्ति और बिलों में सुधार इत्यादि प्रमुख है।

35. वर्तमान में सभी औद्योगिक ईकाईयों को 6%की दर से विद्युत शुल्क का भुगतान करना पड़ता है जिससे उद्योगों को काफी कठिनाई हो रही है। वर्तमान दर के कारण ईकाईयों को 40 पैसे प्रति किलोवाट के हिसाब से भुगतान करना पड़ रहा है। GST लागू किये जाने के पश्चात् इस शुल्क का सामन्जस्य भी नही हो पायेगा। अत: अनुरोध है कि विद्युत शुल्क 5 पैसे प्रति किलोवाट की दर से अधिक नही रखा जाना चाहिए।

36. **<u>आवास(Housing) एवं शहरीकरण :-</u>**

निम्न एवं निम्न मध्यवर्गीय नागरिकों की जवलन्त समस्या आवासीय व्यवस्था की मांग है । सरकार का यह दायित्व है कि ऐसी जनसंख्या के लिये Low cost Housing Scheme का विकास करें । आप अवगत हैं कि 15 लाख तक के गृह निर्माण अग्रिम पर ग्राहकों को 1 प्रतिशत की छूट अनुमान्य है बशर्ते कि Housing Cost 25 लाख रूपये से अधिक न हो । राज्य की अधिकांश जनसंख्या इसका लाभ नहीं ले पाते हैं क्योंकि यह देखा गया है कि पटना या इसके इर्द–गिर्द दो बेड रूम वाले फ्लैट की कीमत भी 25 लाख रूपये से कहीं ज्यादा है ।

अत: चैम्बर का सुझाव है कि पटना के वैसे इलाके जहॉ आवासीय कोलनी Housing Board द्वारा या राज्य सरकार के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के लिये बने कोलनी का विकास PPP Mode पर Low Cost Housing Scheme के तहत करवाया जाय। स्वाभाविक है कि जहॉ आवासीय फ्लैट का निर्माण किया जायेगा, वहॉ Commercial Complex भी अपेक्षित होंगे ।

यह सर्वविदित है कि राज्य सरकार वर्त्तमान वित्तीय स्थिति में आवासीय परियोजना को अपने संसाधनों से मूर्त्त रूप में लाने में पूर्णत: सक्षम नहीं हो पायेगा । अतएव सुझाव है कि इसे PPP Mode से कार्यान्वित कराया जाय । दिल्ली जैसे शहर में DDA (Delhi Development Authorithy)/ Noida Development Authority द्वारा जो आवासीय परियोजनायें चलायी जा रही हैं, उसको माडल के रूप में अध्ययन किया जा सकता है और Multistoried आवासीय भवन का निर्माण कराया जा सकता है । आप सहमत होंगे कि केवल पटना में कंकड़बाग, गर्दनीबाग, शास्त्रीनगर जैसे इलाकों में ही इसे प्रायोगिक रूप में प्रारम्भ कर इस परियोजना की सफलता को आंका जा सकता है । तत्पश्चात् राज्य के अन्य जिलों में इसे लागू करने पर विचार किया जा सकता है । यह राज्य की जनता, खासकर निम्न, मध्य आय वर्ग के लिये एक महत्वाकांक्षी योजना साबित हो सकती है ।

High तथा Unrealistic Circle Rate के कारण निर्माण उद्योग को अनेकों प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अत: आग्रह है कि Circle Rate को यथाशीघ्र Rationalise किया जाये।

क्रमश:.....12

37. New Building Bye-Laws-Amnesty Scheme:– लम्बे इंतजार के बाद राज्य सरकार ने नयाBuilding Bye-Lawsका निर्धारण किया।Building Bye-Lawsके आने से राज्य में रूक–सी गई भवन निर्माण उद्योग(Real Estate sector industries)को पुन: पूनर्जीवित होने का आशा जगी थी, लेकिन बिल्डिंग बायलॉज के अनेक प्रवधान एक दूसरे के विरोधाभाषी हैं जिसके कारण बायलॉज के प्रावधान के अनुरूप उद्यमियों को काम करने में कठिनाई हो रही है। पुन: पटना नगर निगम द्वारा भी मकान का नक्शा पास किये जाने में अत्यधिक विलम्ब किये जाने के कारण भवन निर्माण उद्योग राज्य में बूरी तरह प्रभावित हो रहा है। अत: आवश्यकता है कि बिल्डिंग बायलॉज के खामियों को अंशधारकों के साथ बैठ कर जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाय तथा इसे पूर्णता में लागू हो यह सुनिश्चित किया जाय।

Building Bye-Lawsके साथ–साथ यह भी आवश्यक है कि पुरानेBye-Lawsके आधार पर बने बड़ी संख्या में भवनों को जिसमें छोटे–मोटे विचलन हुए हैं उनके उपर निगरानी का मामला दर्ज है जिसका निपटारा भी नही हो पा रहा है जिसके परिणामस्वरूप, समाचार–पत्र के रिपोर्ट के आधार पर,500करोड़ से अधिक का निवेश इसमें blockहै। इस विषय में चैम्बर ने पूर्व में भी सरकार के समक्ष यह मांग रखा था और एक बार पुन: यहां रखना चाहता है कि विचलन के आधार पर रोक लगायी गयी निर्माण कार्य के लिए राज्य सरकार एक बारAmnesty Schemeलाकर ऐसा निर्माण कोregulariseकरें।

38. लीज होल्ड भूखंड को फ्री होल्ड में परिवर्तित किए जाने की मांग :– हाल में बिहार सरकार ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आवास बोर्ड के जमीन को फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया है जिसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। हमारी मांग है कि भूखंड के बेहतर उपयोग के मद्देनजरPRDA, खास महल, बियाडा के जमीन जो लीज होल्ड के रूप में उपभोक्ताओं को आवंटित किए गए हैं उन्हें फ्री होल्ड किया जाए।

39. बिहार की विकास दर गत् वर्षो में काफी अधिक रही है। ऐसा अनुमानित है कि लगभग 13% की विकास दर हासिल कर लेने वाला बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था आगामी 6 वर्षो में दुगनी तथा 12 वर्षो में चौगुनी हो सकती है। ऐसे में राजधानी पटना के विस्तार की नितान्त आवश्यकता है। चूंकि पहले से हीं पटना पूर्व से पश्चिम तक काफी लम्बा नगर है तथा इसके उत्तर में गंगा नदी है अत: इसका शहरी विस्तार दक्षिण के क्षेत्र में ही किया जाना संभव प्रतीत होता है। इस आलोक में हमारा सुझाव है कि राज्य के आगामी बजट में पटना के शहरी विस्तार हेतु उत्तर–दक्षिण दिशा में पटना सिटी से दानापुर तथा जहानाबाद तक कम से कम दो 4/6 लेन सड़क के निर्माण का प्रस्ताव किया जाये। उक्त क्षेत्र में सड़क विकसित हो जाने के बाद ही इन क्षेत्रों में शहरी विकास संभव हो पायेगा।

क्रमश:.....13

अन्य मुद्दे

40. व्यवसायियों के कल्याण हेतु ''व्यवसायी कल्याण कोष/ Trader Welfare Board'' के सृजन/ गठन के सम्बन्ध में ।

व्यवसायी राज्य के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। यदाकदा व्यवसायी को भी आपात स्थिति में वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। एक कल्याणकारी राज्य का यह दायित्व है कि वह समाज के सभी वर्गों के कल्याण हेतु योजना बनाये । अतएव, किसी आपात स्थिति में यदि व्यापारी वर्ग को वित्तीय सहायता की जरूरत हो तो उसे राहत पहुँचाने के लिये राज्य की ओर से एक कल्याण कोष का गठन किया जाना आवश्यक है । अत: अनुरोध है कि ''व्यवसायी कल्याण कोष'' का गठन कराया जाय । यहाँ यह उल्लेखनीय होगा कि हाल में ही हरियाणा सरकार द्वारा व्यापारियों की समस्याओं के निदान एवं उनके कल्याण के लिए एकTrader Welfare Board का गठन किया है। जिससे न केवल व्यापारियों का कल्याण सुनिश्चित हो पाये बल्कि राज्य की आर्थिक उन्नति को भी बढ़ावा मिले। इसी तर्ज पर बिहार में भी बोर्ड का गठन किया जा सकता है।

41. गैस पाइपलाइन

अभी तक बिहार में गैस पाइपलाइन उपलब्ध नहीं है। जगदीशपुर – हल्दिया गैस पाइपलाइन का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है और यह गैस पाइपलाइन बिहार के अनेक स्थानों से गुजरेगी, जिसका अधिकतम लाभ लिया जाना चाहिए। गैस पाइपलाइन का भौगोलिक वितरण असमानता भरा रहा है, जिसके फलस्वरूप पाइपलाइन के नजदीक वाले राज्य इसका अधिक लाभ उठा पाते हैं और उन स्थानों में गैस का स्थानीय बाजार विकसित हो जाता है। जब कि पूर्वी राज्यों विशेषकर बिहार गैस का लाभ गैस की अनुपलब्धता की वजह से नही उठा पा रहे हैं।

राज्य सरकार, IOC तथाGAIL के बीच MOU भी हस्ताक्षरित हुए हैं इसके अनुसार GAIL का प्रमुख गैस पाईप लाईन गया, औरंगाबाद, रोहतास एवं कैमुर जिला होकर गुजरेगा।इस गैस पाइपलाइन को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिल सके।

42. महात्मा गॉधी सेतु, पटना एवं राजेन्द्र सेतु, मोकामा

महात्मा गॉधी सेतु, पटना एवं राजेन्द्र सेतु, मोकामा पर भारी वाहनों का परिचालन लंबे समय से बंद कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप उद्योग एवं व्यापार को अत्यधिक हानि एवं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका एक और नया पहलु सामने आया है जो कि चिन्ताजनक है और वह यह है कि उद्योग एवं व्यापार को होने वाली आर्थिक हानि के फलस्वरूप इससे राज्य सरकार की आय में भी अच्छी–खासी कमी होना प्रारंभ हो गया है।

बिहार सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति तथा फुड प्रोसेसिंग प्रोत्साहन नीति के रूप में देश की सर्वोतम आकर्षक नीतियॉ बनायी है, परन्तु इतनी आकर्षक नीतियों का भी लाभ राज्य को औद्योगिक निवेश के रूप में प्राप्त नही हो रहा है जो कि चिन्ताजनक तथ्य है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण तो आवागमन एवं यातायात की समस्या के रूप में स्पष्ट है जिसका वर्णन उपरोक्त पारा में किया गया है। यदि यातायात एवं आवागमन के साधन सुगम नही होंगे तो राज्य में आद्योगिक निवेश आकर्षित नही होगा यह एक सिद्ध तथ्य है। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार दो देशों की तरह हो गये है।

क्रमश:.....14

चैम्बर को यह ज्ञात हुआ है कि दीघा–पहलेजा रेल–सह–सड़क पुल को पूरा करने में 941 करोड़ रूपए तथा मुंगेर–खगड़िया रेल–सह–सड़क को पूरा करने में 918 करोड़ रूपए की आवश्यकता है। उपरोक्त जानकारी पूर्व–मध्य रेल के मुख्य जन–संपर्क पदाधिकारी से प्राप्त हुई है जिसका स्रोत पूर्व–मध्य रेल की पिंक बुक है। इससे स्पष्ट होता है कि लगभग 2000 करोड़ रूपए की व्यवस्था हो जाने से ये दोनों लंबित पुल चालू हो सकते हैं, जबकि दूसरी ओर महात्मा गॉधी सेतु, पटना तथा राजेन्द्र सेतु, मोकामा पर भारी वाहनों के प्रतिबंध से 2500 करोड़ से भी ज्यादा की हानि हो चुकी है।

43. **<u>हवाई अड्डा</u>**

पटना हवाई अड़डा को स्थान्तरित किये जाने का प्रस्ताव पटना मास्टर प्लान में है। मास्टर प्लान में प्रस्तावित / चिन्हित हवाई अड्डा को भारत सरकार केAirport Authorityसेapproval लेने की भी आवश्यकता है। पुनः इस प्रोजेक्ट को पुरा होने में कम–से–कम 10से 12वर्षों का समय लगेगा। अतः10से12वर्षों के लिए पटना हवाई अड्डा को कार्यशील रखना होगा जिसके लिए आवश्यक है कि हवाई अड्डा के रनवे की लम्बाई को बढ़ाई जाए तथा इसेModeniseकिया जाए। रनवे को बढ़ाने के लिए दक्षिणी किनारे स्थित रेलवे लाइन को भूमिगत रेल लाइन में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए राज्य अपने बजट में समुचित प्रावधान करे तथा केन्द्र सरकार तथाAirport Authorityसे भी वार्ता करे। राज्य में औद्योगिकरण तथा शहरीकरण की गति को तीव्र करने के लिए आवश्यक है कि राज्य के अन्य शहरों यथा मुजफ्फरपुर, बेतिया, भागलपुर, पूर्णिया, सासाराम आदि जगहों पर मध्यम श्रेणी के हवाई जहाज परिचालन के लिए केन्द्र सरकार से वार्ता कर हवाई अड्डा विकसित / स्थापित करे। यदि पहले से हवाई अड्डा है तो उसको परिचालन के लिए तैयार किया जाए। साथ ही साथ हवाई अड्डा के लिए गुणवत्तापूर्णroad connectivityदी जाए।

44. समुचित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य में ICD/Dry Port शीघ्रातिशीघ्र स्थापित किया जाना चाहिए।

****